

(बीमा दलाल) विनियम, 2018
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

(विनियम 14 (8) देखें)
Schedule 1 - Form L
(See Regulation 14 (8))

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

पंजीकरण संख्या Registration No.: 505

1. मेसर्स डी.टु.सी. इश्योरेल ब्रोकिंग प्रा. लि. श्रेणी प्रत्यक्ष (जीवन एवं सामान्य)

दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।

1. The Certificate of Registration of M/s. D2C Insurance Broking Pvt Ltd Category Direct (Life & General)
Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

2. हैदराबाद में 1 दिन नवम्बर (माह) दो हजार दो हजार को जारी किया गया

2. Issued at Hyderabad on 1st day of NOVEMBER Two Thousand Twenty three.

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 27.11.2023 से 26.11.2026 तक विधिमान्य होगा।

3. This Certificate of Registration shall be valid from 27.11.2023 to 26.11.2026.

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधिन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।

4. This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

आदेशानुसार
By Order

स्थान Place : Hyderabad

दिनांक Date : 01.11.2023

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से
For Insurance Regulatory and Development Authority of India